



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032021-225912
CG-DL-E-15032021-225912

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 15, 2021/फाल्गुन 24, 1942

No. 139]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 15, 2021/PHALGUNA 24, 1942

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

सा.का.नि. 188(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड.) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 के नियमों का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-

(क) खंड (घ) में, "कोई व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"या अधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से फाइल किया गया कोई आवेदन"

(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(घक) “प्राधिकृत अधिकारी” से रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, फाइलिंग संविधा अधिकारी

और अधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जो अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किए जाएं”

(घख) “डाटा”का वहीं अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में है;

(घग) “अंकीय हस्ताक्षरण” का वहीं अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में है;

(घघ) “डिजिटलीकरण” से किसी भी प्ररूप के सदृश डाटा को अंकीय प्ररूप में या किसी भी प्ररूप के डाटा को अंकीय डाटा में या न बदले योग्य प्ररूप डाटा जिसमें वहनीय दस्तावेज रूपविधान भी शामिल है या अन्य समुचित न बदलने योग्य प्ररूप और जिसमें दस्तावेज प्रतिबिंब, ध्वनि क्लिप या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक अभिलेख जो कि कम्प्यूटर युक्ति द्वारा समझा जा सके या इलेक्ट्रानिक युक्ति और अध्यक्ष समय समय पर ऐसे डाटा ऐसी रीति से जो आवश्यक बैक अप उत्पन्न करेगा, अभिप्रेत है;

(घड.) “इलेक्ट्रानिक पोर्टल” से अधिकरण के उपयोग के लिए अनन्य रूप से उत्पन्न हुए पोर्टल अभिप्रेत है;

(घच) “इलेक्ट्रानिक चिह्नक” का वहीं अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में है;

(ग) खंड (ड.) में “संलग्न प्ररूप” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अथवा अधिकरण के इलेक्ट्रानिक पोर्टल में उपबंधित प्ररूप"

(3) उक्त नियमों के नियम 4 में,-

(क) उप नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु आवेदन को इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल करने की दशा में उसको इलेक्ट्रानिक पोर्टल में यथा उपबंधित प्ररूप में फाइल किया जाएगा।”

(ख) उपनियम (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि आवेदन को इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल करने की दशा में, आवेदन को तीन प्रतियों में, पता लिखे हुए लिफाफे और आवेदन की अतिरिक्त प्रतियों की आवश्यकता नहीं है लेकिन आवेदक को प्रत्यर्थी के ई-मेल का पता देना होगा।”

(4) उक्त नियमों में, नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“4क इलेक्ट्रानिक पोर्टल की स्थापना करना और आवेदन फाइल करना – (1) अधिकरण आवेदनों और दस्तावाजों को फाइल करने के लिए इलेक्ट्रानिक पोर्टल स्थापित कर सकेगा।

(2) अधिकरण को आवेदनों और याचिकाओं को रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे इलेक्ट्रानिक पोर्टल के माध्यम से जो विहित डिजिटल रूपविधान में हों उपस्थापित किया जाएगा”:

परंतु डिजिटलीकरण के संक्रमण काल में अथवा यदि किसी भी कारण से इलेक्ट्रानिक पोर्टल तक पहुंच उपलब्ध नहीं है, तब आवेदन या प्रत्यर्थी आवेदन अथवा याचिकाओं को अधिनियम की धारा 19 के अनुसार अभिलेख पुस्तिका प्ररूप में फाइल कर सकेगा और ऐसे मामलों में, आवेदन को उसकी साफ्ट कापी भी प्रस्तुत करना होगा और तब रजिस्ट्री को स्कैन करके आवेदन और दस्तावेजों को इलेक्ट्रानिक पोर्टल में अपलोड करना होगा।

(3) एक बार अधिकरण का इलेक्ट्रानिक पोर्टल स्थापित हो जाने पर, विधि व्यवसायी अधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे और उसकते लिपिक उनके इलेक्ट्रानिक पोर्टल में रजिस्टर करेंगे।

(4) इलेक्ट्रानिक पोर्टल तक पहुंच के लिए, सभी उपयोगकर्ता अपने आप को इलेक्ट्रानिक पोर्टल में रजिस्टर करेंगे और यूजर आई डी और पासवर्ड प्राप्त करेंगे।

4ख. पक्षकारों को जोड़ना – सभी व्यक्ति जो सीधे प्रभावित हुए हों आवेदन करने के लिए पक्षकार बनाए जाएंगे। जहां ऐसे व्यक्ति अनेक हैं वहां पर उनमें से एक या एक से अधिक अधिकरण की अनुमति से, इस उद्देश्य के लिए आवेदन करेंगे, इस प्रकार से सभी व्यक्तियों के लाभ के लिए उनकी ओर से पक्षकार बनाया जाएगा, लेकिन मूल आवेदन के स्वीकृति की सूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को या तो व्यक्तिशः या लोक विज्ञापन के माध्यम से जैसा कि अधिकरण प्रत्येक मामले में आदेश करे, देना होगा

परंतु ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार पक्षकार है, वहां पर संबंधित सरकारी विभाग के सचिव को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तैयार किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि आवेदन की विषयवस्तु दो या अधिक विभागों से संबंधित है या आवेदन ऐसी प्रकृति का है, जिसका निपटान दो या अधिक सरकारी विभागों के वारंट सूचना से है, सरकार का मुख्य सचिव और उन सरकारी विभागों के सचिवों को सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पक्षकार बनाया जाएगा।”

(5) उक्त नियमों के, नियम 5 में, उप नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए गए सभी आवेदनों की रजिस्ट्री में संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई दोष है तो रजिस्ट्रार द्वारा नियत समय के भीतर सुधार के लिए ई-मेल के माध्यम से आवेदक को सूचना दी जाएगी और अच्छे तथा पर्याप्त कारण होने पर रजिस्ट्रार, जो वह ठीक समझे, दोष के सुधार के लिए समय बढ़ा सकेगा, परंतु कुल समय तीस दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा और अगर वह ऐसे समय के भीतर दोष को नहीं सुधारता है तब रजिस्ट्रार उचित आदेश के लिए संबंधित अधिकरण की पीठ के समक्ष मामलों को रखेगा।”

(6) उक्त नियमों में, नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6क) आवेदन को इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल किए जाने की दशा में, फीस को इलैक्ट्रानिक रूप से माफ कर दिया जाएगा। इलैक्ट्रानिक पोर्टल आवेदन की फीस और अन्य भारों को आनलाइन संदाय के लिए आसान बनाएगा:

परंतु जहां पर किसी भी कारण से ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां आवेदक आवेदन की फीस हेतु न्यायालय फीस स्टॉप और वकालतनामा जिसमें अपेक्षित स्टॉप चिपकाया गया हो, की स्कैन प्रति को अपलोड करेगा:

परंतु यह और कि आवेदक, आवेदन की संवीक्षा के अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व रजिस्ट्री में मूल रूप में ‘वकालतनामा’ और आवेदन फीस के लिए स्टॉप प्रस्तुत करना होगा।”

(7) उक्त नियमों में, नियम 7 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु आवेदन को इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल करने की दशा में, आवेदन फाइल करने के आधारों के लिए इलैक्ट्रानिक पोर्टल में उपबंधित स्तंभ में सीधे प्रविष्टि की जाएगी।”

(8) उक्त नियम में नियम 8 के उपनियम (3) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि आवेदन के इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल किए जाने की दशा में, दस्तावेजों को आवेदन के साथ फाइल करना होगा या याचिका को इलैक्ट्रानिक पोर्टल के माध्यम से उसे स्कैन और अपलोड करके पक्षकारों द्वारा फाइल किया जाएगा।”

(9) उक्त नियमों में, नियम 10 में, उप नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(9) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, आवेदन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करने की दशा में, अधिकरण द्वारा निकाली गई कोई सूचना या आदेशिका, यथा संभव, इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से तामील होगी। जब इलैक्ट्रानिक मेल पता ज्ञात नहीं है तो सूचना या आदेशिका की तामील उपरोक्त उपनियम (1) से नियम 4(4) के अनुसार की जा सकेगी।”

(10) उक्त नियमों में, नियम 11, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इलैक्ट्रानिक रूप से फाइलिंग की दशा में, प्रत्यर्थियों द्वारा उत्तर और कथनों को फाइल किया जाएगा और यदि कोई संलग्न दस्तावेज है, तो ऐसा उत्तर इलैक्ट्रानिक पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा और ऐसी दशा में, ऐसे उत्तर के फाइल करने से संबंधित संदेश, आवेदक को दिया जाएगा और अन्य प्रत्यर्थियों को रजिस्ट्री द्वारा दिया जाएगा और उसके पश्चात् आवेदक और अन्य प्रत्यर्थी इलैक्ट्रानिक पोर्टल से उत्तर तक पहुंच सकते हैं।”

(11) उक्त नियमों में, नियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“11क. आवेदक द्वारा प्रत्युत्तर और दस्तावेजों का फाइल किया जाना- इलैक्ट्रानिक फाइलिंग की दशा में आवेदक द्वारा प्रत्युत्तर फाइल किया जाएगा और यदि कोई संलग्न दस्तावेज है, जिसे इस प्रत्युत्तर के साथ फाइल किया जाना है। इलैक्ट्रानिक पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा और ऐसे मामलों में, ऐसे प्रत्युत्तर फाइल करने के संबंध में एक संदेश, रजिस्ट्री द्वारा प्रत्यर्थी को दिया जाएगा और इसके पश्चात् प्रत्यर्थी इलैक्ट्रानिक पोर्टल से प्रत्यर्थी तक पहुंच सकता है।”

(12) उक्त नियमों के, नियम 18 में,-

(क) उप नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जब आदेश अंकीय रूपविधान में बना हो, तब उसे ऐसे सदस्यों द्वारा अंकीय चिह्नक के प्रयोग द्वारा हस्ताक्षरित होगा।”

(ख) उप नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) सभी दशाओं में अधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेशों और अंतरिम आदेशों को लोकाधिकारी क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक पोर्टल में प्रकाशित किया जाएगा।”

(13) उक्त नियमों के, नियम 20 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जब अधिकरण के आदेश को अंकीय रूपविधान में जारी किया जाता है और उसके अंकीय हस्ताक्षर के पश्चात्, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पक्षकारों को इलैक्ट्रानिक रूप में संसूचित किया जाएगा और यथा उपरोक्त इलैक्ट्रानिक रूप में हस्ताक्षरित और संसूचित आदेशों को, आदेश की अधिप्रमाणित प्रति मानी जाएगी और उसके आधार पर अधिकरण और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अगला कदम उठाने के लिए पर्याप्त होगा और कोई पाने वाला या प्राधिकारी भी आदेश में उपबंधित इलैक्ट्रानिक संपर्क पर क्लिक द्वारा आदेश की प्रमाणिकता को सत्यापित कर सकता है।”

(14) उक्त नियमों के, नियम 29 में, मद (xii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xiii) समय-समय पर अध्यक्ष के अनुमोदन के द्वारा, आवेदन फाइल करने के लिए अनुसरित प्रक्रियाओं में तकनीकी पहलुओं पर, यदि कोई हों, छोटे-मोटे बदलाव करना, सूचना या आदेशिका जारी करना, कथन का उत्तर और प्रत्युत्तर फाइल करना, मामलों की सुनवाई के लिए कलेंडर बनाना, आदेशों को संसूचित करना, उपयोगकर्ताओं का इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्रेशन करना, अधिसूचित किया जाएगा।”

(15) नियम 32 के पश्चात्, निम्नलिखित नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“33. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई – अधिकरण के विवेकानुसार, मामले की सुनवाई इलैक्ट्रानिक के उपयोग से जैसा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग है, सुकर बनाई जाएगी। अध्यक्ष इस संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित कर सकेगी।”

[फा. सं.ए.-11014/9/2009-एटी]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2021

G.S.R. 188(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes, the following rules to amend the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 2010, namely:-

1. *Short title commencement.*- (1) These rules may be called the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Kerala Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 2010 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(a) in clause (d), after the word and figures “section 19”, the following words shall be inserted, namely:-

“or an application filed through the Electronic Portal of the Tribunal”;

(b) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(da) “authorised officer” means the Registrar, Deputy Registrar, Filing Scrutiny Officer and such other officer of the Tribunal as may be authorised by the Chairman;

(db) “data” shall have the same meaning as assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(dc) “digital signature” shall have the same meaning as assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(dd) “digitisation” means the process of converting analog data in any form into digital form or data in any form into digital form or data in an un-editable format including Portable Document Format or other appropriate un-editable format and includes documents, images, sound clips or any other electronic record that can be understood by computer systems or electronic devices and shall include creation of necessary backups of such data in such manner as may be decided by the Chairman from time to time;

(de) “Electronic Portal” means the portal created exclusively for the use of the Tribunal;

(df) “electronic signature” shall have the same meaning as assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(e) in clause (e), after the words “these rules”, the following shall be inserted, namely:-

“or the form provided in the Electronic Portal of the Tribunal”.

(3) In the said rules, in rule 4,-

(a) after sub-rule(1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in the case of electronic filing of the application, the same shall be filed in the form as provided in the Electronic Portal.”;

(b) In sub-rule (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that in the case of electronic filing of the application, triplicate sets of application, envelopes bearing addresses and extra copies of application are not required but the applicant has to furnish the e-mail addresses of the respondents.”

(4) In the said rules, after rule 4, the following rules shall be inserted, namely:-

“4A. *Setting up of Electronic Portal and filing of Application.*-(1) The Tribunal may set up an Electronic Portal for filing of applications and documents.

(2) The applications and petitions to the Tribunal shall be presented in the prescribed digital format to the Registrar or authorized officer through such Electronic Portal:

Provided that in the transition period of digitization or if for any reason the access to the Electronic Portal is not available, the applicant or respondent can file the applications or petitions in paper book form as per section 19 of the Act and in such cases, the applicant shall also submit a soft copy of the same and then the registry shall scan and upload the application and documents to the Electronic Portal.

(3) Once the Electronic Portal of the Tribunal is established, the legal practitioners appearing before the Tribunal and their clerks shall register themselves in the Electronic Portal.

(4) For accessing the Electronic Portal, all users shall register themselves in the Electronic Portal and obtain a user identity and password.

4B. *Addition of parties.*- All persons directly affected shall be made parties to the application. Where such persons are numerous, one or more of them may with the permission of the Tribunal, on application made for the purpose, be impleaded on behalf of or for the benefit of all persons so affected; but notice of the original application shall, on admission, be given to all such persons either by personal service or by public advertisement as the Tribunal in each case may direct:

Provided that in cases where the State Government is a party, the Secretary to the Government Department concerned shall be arrayed as party representing the Government:

Provided further that if the subject matter of the application relates to two or more Government Departments or, if the application is of such a nature, the disposal of which warrants information from two or more Government Departments, the Chief Secretary to Government and the Secretaries to those Government Departments shall be made as party representing the Government.”.

(5) In the said rules, in rule 5, after sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that all applications filed electronically shall be scrutinised in the Registry, and defects if any, shall be intimated to the applicant through e-mail for rectification within such time fixed by the Registrar and the Registrar may for good and sufficient reasons, extend the time for rectifying the defects as he may deem fit, provided, the total period does not exceed thirty days and that if the defects are not cured within such time, the Registrar shall place the matter before the Tribunal Bench concerned for appropriate orders.”.

(6) In the said rules, after rule 6, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(6A) In the case of electronic filing of the application, the fee shall be remitted electronically. The Electronic Portal shall have the facilities for online payment of application fee and other charges:

Provided that where such facilities are not available for any reason, the applicant has to upload the scanned copy of the court fee stamp towards application fee and ‘Vakalatnama’ affixed with requisite stamps:

Provided further that the applicant has to produce the ‘Vakalatnama’ and the stamp for application fee in original in the Registry before the finalization of scrutiny of the application.”.

(7) In the said rules, after sub-rule (1) of rule 7, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in case of electronic filing of application, the grounds for filing application shall be entered directly in the column provided in the Electronic Portal”.

(8) In the said rules, in rule 8, in sub-rule(3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that in the case of electronic filing of the application, the documents to be filed along with the application or petition shall be filed by the parties through the Electronic Portal, by scanning and uploading the same.”.

(9) In the said rules, in rule 10, after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(9) Notwithstanding anything contained in this rule, in the case of electronic filing of application, any notice or process to be issued by the Tribunal shall, as far as possible, be service through electronic means. When electronic mailing address is not known, the service of notice or process may be done as per sub-rules (1) to 4(4) above.”.

(10) In the said rules, in rule 11, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in case of electronic filing, the replies and statements to be filed by the respondents and the accompanying documents, if any, to be filed with such replies shall be filed through the Electronic Portal and in such

cases, a message regarding the filing of such reply shall be given to the applicant and other respondents by the Registry and thereafter the applicant and the other respondents can access the reply from the Electronic Portal”.

(11) In the said rules, after rule 11, the following rule shall be inserted, namely:-

“11 A. *Filing of rejoinder and documents by the applicant.*- In case of electronic filing, the rejoinder to be filed by the applicant and the accompanying documents, if any, to be filed with such rejoinder, shall be filed through the Electronic Portal and in such cases, a message regarding the filing of such rejoinder shall be given to the respondents by the Registry and thereafter the respondents can access the rejoinder from the Electronic Portal.”.

(12) In the said rules, in rule 18,-

(a) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that when the orders are prepared in digital format, the same shall be signed by such Members by using digital signature.”;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) The final orders and interim orders passed by the Tribunal in all cases shall be published in the Electronic Portal in public domain.”.

(13) In the said rules, in rule 20, after sub-rule(1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that when the orders of the Tribunal are to be issued in digital format, the same shall be electronically communicated to the parties by the authorised officer after affixing his digital signature and that the orders electronically signed and communicated as above shall be considered as the authentic copy of the order and shall be sufficient for taking further steps thereon before the Tribunal and other authorities and also that any recipient or authority can verify the authenticity of the order by clicking on the electronic link provided in the order.”.

(14) In the said rules, in rule 29, after item (xii), the following item shall be inserted, namely:-

“(xiii) with the approval of the Chairman, notify from time to time, minor changes, if any, on the technical aspects in the procedures to be followed for filing of application, issue of notice or process, filling of reply statement and rejoinder, generation of calendar of cases for hearing, communication of orders, electronic registration of users.”.

(15) after rule 32, the following rule shall be inserted, namely:-

“33. *Hearing through video conferencing.*- The hearing of the cases may, at the discretion of the Tribunal, be held by making use of electronic facilities such as video conferencing. The Chairman may notify the procedure to be followed in this regard.

[F.No. A-11014/9/2009-AT]

RASHMI CHAUDHARY, Addl. Secy.